झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

एच0ई0सी0 नगर प्रशासन भवन, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची

आदेश संख्या – जे0एस0बी0सी0एल0 –10 राँची, दिनांक :– 22.12.12

आदेश

विषय :– निगम के डिपो से बिक्री हेतु रीटेलर से प्राप्त राशि को जमा करने तथा Reconciliation के उपरांत मदिरा बिक्री करने के संबंध में प्रकिया।

महाशय,

झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन की रीटेलर की बिक्री नियमावली (Policy for sale to the retailers) जो निगम के सर्कुलर सं0– JSBCL/01 Dt. 15.10.12 के द्वारा निर्गत है, के संगत नियम निम्नवत है :–

12. Issue of stocks shall be against a local Demand Draft or Pay Order or direct credit in favour of the Jharkhand State Beverages Corporation Ltd, Ranchi. Cash will not be accepted at the depot. No credit sale shall be allowed.

13. Demand Drafts / Pay Orders issued by scheduled banks will be accepted by the Corporation. Instruments issued by non-scheduled banks will not be accepted.

14. Retailers who have an account with any branch of the designated banks may transfer the due amount in favour of the Jharkhand State Beverages Corporation Ltd, Ranchi through a challan prescribed by the Corporation. Branches of the banks and account numbers of the Corporation with these banks where such payment can be made would be separately notified.

15. Retailers shall produce a portion of the challan with the confirmation of the bank to the concerned depot only based on which stock would be issued.

16. The Demand Draft / Pay Order shall not be returned if deposited and adjusted against any procurement order.

उपरोक्त कंडिका– 12 से 16 (Payment for Stocks Purchased) के अनुसार किसी भी डिपो से Depo Stock का क्रय स्थानीय Demand Draft अथवा निगम के नामित

बैंक के मुख्य खाते में सीधे नगद जमा करने के उपरांत बैंक से प्राप्त चालान की प्रति (Cash Deposit Receit (CDR)) के आधार पर क्रय किया जा सकेगा ।

उपर्युक्त के आलोक में झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन के मुख्य चालू खाता, पंजाब नेशनल बैंक, मेन रोड, रांची में निगम के डिपो से बिक्री हेतु रीटेलर से प्राप्त राशि यथा Demand Draft अथवा निगम के नामित बैंक के मुख्य खाते में सीधे नगद जमा करने तथा Reconciliation के उपरांत मदिरा बिक्री करने के संबंध में प्रकिया निम्नवत है:–

क – बैंक ड्राफ्ट के द्वारा –

1– कॉरपोरेशन के मुख्य चालू खाता, पंजाब नेशनल बैंक, मेन रोड, रांची में विभिन्न रीटेलर से बिक्री के पूर्व डिपो में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को कॉरपोरेशन के मुख्य चालू खाता, पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया जाना है ।

2– प्रत्येक डिपो में विभिन्न रीटेलरों से बिक्री के पूर्व पत्र के साथ संलग्न बैंक के विहित ट्रिपलिकेट प्रपत्र DD Deposit Slip पूरी तरह भरवाकर बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया जाएगा । ट्रिपलिकेट प्रपत्र DD Deposit Slip की प्रति जो रीटेलर की है उसे प्राप्ति उपरान्त रीटेलर को दे दी जाएगी ।

3– उक्त ट्रिपलिकेट प्रपत्र DD Deposit Slip की अवशेष दो प्रति मे से एक प्रति डिपो में अभिलेख के रूप में सुरक्षित रहेगा तथा एक प्रति पंजाब नेशनल बैंक द्वारा बैंक के संबंधित कर्मचारी / पदाधिकारी जो बैंक के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा, को पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सूचनायें भरकर पूरे दिन का सारांश जिसमें दुकान का नाम, बैंक ड्राफ्ट बैंक के संबंधित कर्मचारी / पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।

4– प्राप्त सभी ट्रिपलिकेट चालान की बैंक प्रति दिये गये विहित प्रपत्र तथा बैंक ड्राफ्टों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस के अंतिम समय में बैंक के संबंधित कर्मचारी / पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि वे अगले दिन बैंक ड्राफ्टों को बैंक मे जमा कर उसका क्लीयरेन्स करा सके ।

5– यह प्रतिदिन सुनिश्चित क़िया जायगा कि सभी प्राप्त बैक ड्राफ्ट उसी दिन विहित प्रपत्र के साथ बैंक से प्राप्त डिपोजिट चालान एक साथ प्रत्येक दिन बैंक को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि उसका क्लीयरेन्स अगले दिन हो सके ।

6– प्रत्येक संबंधित बैंक प्रत्येक डिपो मैनेजर को पिछले दिन का स्क्रॉल या बैंक स्टेटमेन्ट देगा जिसके आधार पर प्रत्येक डिपो मैनेजर निगम के खाता में जमा बैंक ड्राफ्टों का Reconciliation / मिलान करेगे । यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि बैंक ड्राफ़्ट खाते में जमा हो गये हैं तब कन्फरमेशन के बाद उन्ही बैंक ड्राफ्ट के विरूद्ध सामग्री की बिक्री हो सकेगी । बिना भुगतान प्राप्त हुए कोई भी Sale नहीं होगा ।

7– यदि किसी दिन बैंक स्टेटमेन्ट एवं स्क्रॉल डिपो मैनेजर को उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथा बैंक ड्राफ्ट लेने के लिए निर्धारित पदाधिकारी / कर्मचारी नहीं आते हैं तो इस इस तथ्य से मुख्यालय को अविलंब सूचित किया जाय तथा संबंधित बैंक को भी सूचित किया जाय ।

8– बैंक ड्राफ्ट मात्र डिपो में जमा कर देने से payment नहीं समझा जायेगा जबतक कॉरपोरेशन के खाता में राशि अंतरण न हो जाय, कृपया इसे सुनिश्चित किया जायेगा ।

8– बैंक से Reconciliation / मिलान के बाद ही सामग्री की Delivery होगी । इसके लिये रीटेलर को 2–3 दिन पहले ही बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा ताकि समय पर Delivery हो सके । इससे सभी रीटेलरों को अवगत करा दिया जाए ।

ख – बैंक में नगद जमा किये गये राशि के द्वारा–

9– प्रत्येक डिपो हेतु विभिन्न रीटेलर बिक्री के पूर्व पंजाब नेशनल बैंक के संबंधित ब्रांच में नगद को कॉरपोरेशन के मुख्य चालू खाता, पंजाब नेशनल बैंक में पत्र के साथ संलग्न बैंक के विहित ट्रिपलिकेट प्रपत्र Cash Deposit challan द्वारा जमा किया जा सकता है । उक्त ट्रिपलिकेट प्रपत्र Cash Deposit challan प्रत्येक डिपो में तथा पंजाब नेशनल बैंक के संबंधित ब्रांच में उपलब्ध रहेगा ।

10– पंजाब नेशनल बैंक के संबंधित ब्रांच में कॉरपोरेशन के मुख्य चालू खाता, पंजाब नेशनल बैंक में नगद राशि जमा करने के उपरान्त बैंक विहित ट्रिपलिकेट प्रपत्र में (Cash Deposit Receipt) प्राप्ति रसीद रीटेलर को जारी करेगा । बैंक विहित ट्रिपलिकेट प्रपत्र की बैंक प्रति अपने पास रख कर रीटेलर प्रति एवं डिपो प्रति रीटेलर को दे देगा जिसे रीटेलर संबंधित डिपो में जमा कर देगा।

11– प्रत्येक संबंधित बैंक प्रत्येक डिपो मैनेजर को पिछले दिन का स्क्रॉल या बैंक स्टेटमेन्ट देगा जिसके आधार पर प्रत्येक डिपो मैनेजर निगम के खाता में जमा राशि का Reconciliation / मिलान करेंगे । यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि राशि निगम खाते में जमा हो गयी हैं तब कन्फरमेशन के बाद जमा राशि के विरूद्ध CDR की रीटेलर प्रति एवं डिपो प्रति का मिलान कर सामग्री की बिक्री हो सकेगी । बिना भुगतान प्राप्त हुए तथा मिलान किए कोई भी Sale नहीं होगा ।

निगम के खाता में यह मिलान करने के उपरांत कि सभी बैंक ड्राफ्ट तथा कैश अंतरण सही था तथा खाते में जमा हो गये हैं । खाता में भुगतान के लिये प्राप्त बैंक ड्राफ्ट / CDR का कन्फरमेशन के बाद सामग्री की बिक्री हो सकेगी । बिना भुगतान प्राप्त हुए तथा मिलान किए कोई भी Sale नहीं होगा ।बैंक में जमा किये गये राशि जिसके विरूद्ध संबंधित बैंक से CDR निर्गत हुई है, के Reconciliation होने के उपरांत ही बिक्री (Delivery) की जायेगी ।

इस आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक – यथोक्त

ह0 –

प्रबंध निदेशक,

झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची ।

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि :– डिपो मैनेजर, धनबाद / देवघर / जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 –

प्रबंध निदेशक,

झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सहायक आयुक्त उत्पाद, धनबाद / अधीक्षक उत्पाद देवघर / जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

– ह0 –

प्रबंध निदेशक

झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची ।

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, मेन रोड शाखा रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि संबंधित जिले के बैंक मैनेजर को डिपो हेतु कर्मचारी / पदाधिकारी को उपरोक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्त करने हेतू निदेशित तथा प्रत्येक दिन कलेक्सन की व्यवस्था एवं उसके अगले दिन क्लीयरेन्स एवं बैंक स्टेटमेन्ट/स्क्रोल संबंधीत डिपो मैनेजर को उपलब्ध कराने एवं Reconciliation के लिए सूचना प्रदान करने की कार्रवाई करेंगे ताकि भुगतान एवं बिक्री में सूचनाओं का सामंजन रखा जा सके ।

22/12/12

प्रबंध निदेशक

झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची ।

O/C